S.N. 1202. Rece. date 05/07/2025

बिजली करती सेवा है। बिजली जानलेवा है।

कार्यालय सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ0प्र0 शासन, गौतमबुद्ध नगर जोन, ई–204, सेक्टर–2, ग्रेटर नोएडा (वेस्ट), गौतमबुद्धनगर। रजिस्टर्ड

(E-Mail ID:-adesgbnagar@gmail.com, Mobile No-8188098033, 9560247328)

संख्याः 834 स0 नि0 / वि0सु0 / गौ0बु0न0 जोन / नियम–46 / 2025–26 दिनांकः– 23/06/2025

सेवा में,

Marwah

सचिव / अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / मैनेजर
केन्द्रीय विहार–02, सोसाइटी,
प्लाट नं0–3, सेक्टर–82, नोएडा, जिला–गौतमबुद्धनगर

विषयः– आपके परिसर में अधिष्ठापित विद्युतीय अधिष्ठापनों का केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत आपूर्ति और विद्युत सुरक्षा सम्बन्धित उपाय) रेगुलेशन के विनियम–30 (पूर्व भारतीय विद्युत नियमावली 1956 के नियम–46) के अन्तर्गत निरीक्षण परीक्षण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया जैसा कि आपको विदित है कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत आपूर्ति और विद्युत सुरक्षा सम्बन्धित उपाय) रेगुलेशन–2010 के विनियम–30 (पूर्व में भारतीय विद्युत नियमावली 1956 के नियम–46) के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि प्रत्येक विद्युत अधिष्ठापन का निरीक्षण एवं परीक्षण तीन वर्ष के अन्तराल में कराया जाना अनिवार्य होता है। अभी विगत कुछ दिनों पूर्व लखनऊ के होटल लेवाना, झांसी मेडिकल कालेज, गुजरात राजकोट के गेमिंग जोन में विद्युतीय अग्निकाण्ड हुआ था। जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गयी तथा काफी जान–मॉल की हानि हुई थी।

होटल लेवाना, झांसी मेडिकल कालेज, गुजरात राजकोट के गेमिंग जोन में हुए अग्निकाण्ड को दृष्टिगत रखते हुए समस्त होटल / हॉस्पिटल / व्यवसायिक प्रतिष्ठानों / औद्योगिक अधिष्ठापनों के स्वामियों / उपभोक्ताओं को उक्त नियमावली के परिप्रेक्ष्य में यह सूचित किया जाता है कि समस्त अपने विद्युतीय अधिष्ठापनों (जैसे–लोड, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, सोलर व लिफ्ट इंत्यादि निरीक्षण शुल्क के साथ) का निरीक्षण / परीक्षण नियमित रूप से प्रारम्भिक निरीक्षण की तिथि अथवा निर्गत एन0ओ0सी0 के तीन वर्ष के अन्तराल पर अनिवार्य रूप से करा ले अन्यथा विद्युत अधिनियम–2003 की धारा–146 के अन्तर्गत तीन माह तक का कारावास या एक लाख रूपये तक का जुर्माना या दोनों दण्डनीय होगा। यदि निर्दिष्ट दिनांक तक समस्त विद्युतीय अधिष्ठापनों का शुल्क नहीं जमा किया जाता है, तो उक्त नियमावली के अनुसार आपके अधिष्ठापन की बिजली काट दी जा सकती है। नियतकालिक निरीक्षण हेतु विद्युत सुरक्षा निदेशालय की वेबसाइट www.vidyutsuraksha.org पर ऑनलाइन दिनांक **10.07.2025**तक उपरकथित आपके विद्युत परिसर में अधिष्ठापित लोड, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, सोलर व लिफ्ट इत्यादि की निरीक्षण शुल्क सहित पोर्टल पर आवेदन करें। यह भी सुनिश्चित कर ले कि यदि आपके परिसर में नये / पुराने लिफ्ट अधिष्ठापित है तो उत्तर प्रदेश लिफ्ट एक्ट–2024 के अनुसार सभी प्रकार के लिफ्ट का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, उलंघन की स्थिति में किसी भी प्रकार की विधिक / कानूनी कार्यवाही के लिए आप स्वंय उत्तरदायी होंगे

पोर्टल पर केस प्राप्त होने पर आपको निरीक्षण तथा परीक्षण करने का निश्चित दिनांक तथा समय सूचित कर दिया जायेगा।

Cheque/demand Draft in favior of State Bank of India to credit under head 0043 or through Internet banking http://rajkosh.up.nic.in/PayGateway/EPay

Note- 1-उपरोक्त नियमों / विनियमो / अधिनियम का अनुपालन न होने पर निरीक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली सरकारी राजस्व की हानि को जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराकर रिकवरी के माध्यम से वसूल लिया जायेगा जिसके लिए आप स्वय उत्तरदायी होगें।

2– भारतीय विद्युत नियमावली 1956 के नियम 47ए के अन्तर्गत जनरेटर का बिना विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र के इस्तेमाल करना अवैधानिक एवं दण्डनीय अपराध है।

3–प्रारम्भिक निरीक्षण के उपरान्त कितनी बार नियतकालीक निरीक्षण कराया गया है, सभी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

भवदीय

(इं0 रमेश कुमार)
सहायक निदेशक
विद्युत सुरक्षा उ0प्र0 शासन
गौतमबुद्धनगर जोन, गौतमबुद्धनगर।

Scanned with CamScanner